

09.05.2023

नाशयनपद (२३)
वादी एवं उसके अधि. अनुपस्थित
प्रतिवादी कं 1 लगायत 3 द्वारा श्री विनोद गुर्जर अधि.

उप.।

प्रतिवादी कं 4 द्वारा श्री के.सी.चौधरी अधि.उप.।

प्रतिवादी कं 5 एकपक्षीय।

प्रकरण वादी साक्ष्य हेतु नियत।

वादी एवं उसके अधिवक्ता अनुपस्थित।

वादी एवं उसके अधिवक्ता को बार-बार पुकार लगाये
जाने पर भी अनुपस्थित।

प्रकरण उचित कार्यवाही हेतु दोपहर 2.00 बजे पेश

हो।

2.00 बजे

वादी एवं उसके अधि. अनुपस्थित
प्रतिवादी कं 1 लगायत 3 द्वारा श्री विनोद गुर्जर अधि.
उप.।

प्रतिवादी कं 4 द्वारा श्री के.सी. चौधरी अधि.उप.।

प्रतिवादी कं 5 एकपक्षीय।

प्रकरण उचित कार्यवाही हेतु नियत।

वादी एवं उसके अधिवक्ता को बार-बार पुकार लगाये
जाने पर भी वे अनुपस्थित हैं।

प्रकरण पुनः उचित कार्यवाही हेतु दोपहर 5.00 बजे
पेश हो।

81

{सौरभ कुमार सिंह}

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड
नारायणगढ़ जिला मंदसौर (म.प्र.)

5.00 बजे

वादी एवं उसके अधि. अनुपस्थित
प्रतिवादी कं 1 लगायत 3 द्वारा श्री विनोद गुर्जर अधि.
उप.।

प्रतिवादी कं 4 द्वारा श्री के.सी. चौधरी अधि.उप.।

प्रतिवादी कं 5 एकपक्षीय।

प्रकरण पुनः उचित कार्यवाही हेतु नियत।

वादी एवं उसके अधिवक्ता अनुपस्थित हैं एवं
अनुपस्थित होने का कोई कारण दर्शित नहीं होता है।

प्रकरण आज वादी साक्ष्य हेतु नियत था। अतः वादी
की ओर से प्रस्तुत दावा वादी एवं उसके अधिवक्ता की
अनुपस्थिति के कारण आदेश 17 नियम 3 के अंतर्गत निरस्त
किया जाता है।

व्यय तालिका बनायी जावे।

प्रकरण का परिणाम अंकित कर नियत समयावधि में
अभिलेखागार में भेजा जावे।

81

{सौरभ कुमार सिंह}

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड
नारायणगढ़ जिला मंदसौर (म.प्र.)